



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112021-230919
CG-DL-E-02112021-230919

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 630]
No. 630]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 2, 2021/कार्तिक 11, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 2, 2021/KARTIKA 11, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 778(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 [1897 का 10] की धारा 21 के साथ पठित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 30 मई, 2016 में प्रकाशित, खनिज (कैप्टिव प्रयोजनार्थ नीलामी के माध्यम से अन्यथा अनुदत्त खनन पट्टा का अंतरण) नियम, 2016 से संबंधित भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 560(अ) तारीख 30 मई, 2016 को एतद्वारा रद्द करती है।

(2) ऐसे निरसन किसी बात होते हुए भी, खनिज (कैप्टिव प्रयोजनार्थ नीलामी के माध्यम से अन्यथा अनुदत्त खनन पट्टा का अंतरण) नियम, 2016 के तहत किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही की संख्या सा.का.नि. 279(अ) तारीख 04 मार्च, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के तत्समान उपाबंधों के तहत किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

[फा. सं. 1/7/2021-माइंस VI (पार्ट-II)]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खनिज (कैप्टिव प्रयोजनार्थ नीलामी के माध्यम से अन्यथा अनुदत्त खनन पट्टा का अंतरण) नियम, 2016, संख्यांक सा.का.नि. 560(अ) तारीख 30 मई, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd November, 2021

G.S.R. 778(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Mines number G.S.R. 560(E) dated the 30th May, 2016 relating to the Minerals (Transfer of Mining Lease Granted Otherwise than through Auction for Captive Purpose) Rules, 2016, published in Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) dated the 30th May, 2016.

(2) Notwithstanding such rescission, anything done or any action taken under the Minerals (Transfer of Mining Lease Granted Otherwise than through Auction for Captive Purpose) Rules, 2016, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, published in Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 279(E), dated 4th March, 2016.

[F. No. 1/7/2021-M.VI (Part-II)]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note : The Minerals (Transfer of Mining Lease Granted Otherwise than through Auction for Captive Purpose) Rules, 2016 were published in Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 560(E) dated the 30th May, 2016.